**किसी व्यवस्था की विषिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।**

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लिये 5 सरकारी सदस्य एवं 7 गैरसरकारी सदस्य तथा मंत्री लद्यु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग को अध्यक्ष नामित है। बोर्ड की बैठकों में गैर सरकारी सदस्य जनप्रतिनिधि के तौर पर अपना पक्ष रखते है तथा बैठक समस्त नीतियों का निर्धारण बोर्ड के एक्ट के माध्यम से किया जाता है।